पत्रांक-15/एम1-163/2014(उ०शि०)-355

शिक्षा विभाग

बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० एस०एम० करीम

निदेशक, उच्च शिक्षा

सेवा में,

कुलपति,

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

फैक्स/
स्पीड पोस्ट

पटना, दिनांक 19/2/2015

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-2039/2015 डा० गदाधर सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि विषयाधीन मामले में शासन के स्तर से प्राप्त निदेशों के आलोक में आपके विश्वविद्यालय से दूरभाष पर विभिन्न तिथियों को संपर्क स्थापित कर स्नातकोत्तर भोजपुरी विभाग के पाठ्यक्रम को नियमानुसार चलाने हेतु इसके लिए गठित विनियम तथा अध्यादेश की प्रति की मांग की जाती रही है जो आज दिनांक 19.02.2015 तक अप्राप्त है।

2. अंकनीय है कि पूर्व में विभागीय पत्रांक-1603 दिनांक 19.10.2000 के द्वारा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को इस संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के कई महाविद्यालयों में बिना राज्य सरकार की अनुमति के स्नातकोत्तर विभाग खोले गये हैं तथा उनमें नामांकन कर पढ़ाई भी की जा रही है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास तो होती ही है बाद में स्नातकोत्तर कक्षाओं का लाभ लेकर नये पद सृजन की मांग भी की जाती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से अनियमित है। ऐसे महाविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा लेने में भी सक्षम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि सभी अंगीभूत महाविद्यालय जहाँ बिना राज्य सरकार की अनुमति के स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई की जा रही है, में तत्कालिक प्रभाव से पढ़ाई बन्द कर दिया जाय। ऐसे छात्रों का जिनका नामांकन इन महाविद्यालयों में हो गया है, उन्हें किसी ऐसे विभागों में अंतरित कर दिया जाय, जहाँ पूर्व से राज्य सरकार की अनुमति से स्नातकोत्तर विभाग चल रहे हैं।

3. उपुर्यक्त वस्तु स्थिति तथा तथ्यों के क्रम में आपसे अनुरोध है कि विषयाधीन मामले से संबंधित प्रस्तावित स्नातकोत्तर भोजपुरी विभाग के लिए महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति के द्वारा अनुमोदित विनियम तथा अध्यादेश की प्रमाणिक प्रति विशेष वाहक के माध्यम से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि उसके आधार पर अग्रतर कारवाई नियमानुसार सुनिश्चित किया जा सके।

विश्वासभाजन,

19/5/14

(डा० एस० एम० करीम)

निदेशक, उच्च शिक्षा